राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–2754/2022

डॉ. महेन्द्र कुमार लाम्बा (कर्मचारी आई.डी.–आरजेबीएन20113002999)

–अपीलार्थी

बनाम

प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर एवं अन्य।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 29.07.2022
आदेश की दिनांक : 13.12.2022

उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री जे.एम. चौधरी, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. यह अपील अपीलार्थी डॉ. महेन्द्र कुमार लांबा की ओर से आदेश दिनांक 25.07.2022 (अनुलग्नक–1) को चुनौती देते हुए प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा अपीलार्थी का स्थानांतरण राजकीय चिकित्सालय कुचामन सिटी, नागौर से जिला चिकित्सालय सिरोही किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क रहा है कि स्थानांतरण आदेश 22.07.2022 में अपीलार्थी का नाम अपीलार्थी का नाम व पदनाम गलत अंकित जारी करते हुए जारी किया गया। प्रत्यर्थी विभाग के द्वारा मस्तिष्क का प्रयोग नहीं किया गया और दुर्भावनापूर्ण आलौच्य आदेश जारी किया गया। उनका यह भी तर्क रहा है कि 2 वर्ष की अवधि में ही अपीलार्थी का स्थानांतरण किया गया है, जो उचित नहीं है। यह भी कथन किया है कि वर्तमान स्थान पर भी चर्म रोग विशेषज्ञ की नियुक्ति नहीं की गई है। राजकीय चिकित्सालय, कुचामन सिटी नागौर, में चिकित्सकों के कुल 38 पद है और वर्तमान में चिकित्सालय में कुल 32 चिकित्सक ही कार्यरत है तथा 6 चिकित्सकों के पद अभी भी रिक्त है। इसके बावजूद भी अपीलार्थी का स्थानांतरण दुर्भावनापूर्वक वर्तमान कार्यस्थल से 400 किमी. दूर किया गया है।
2. यह उल्लेखनीय है कि अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत अपील में इस अधिकरण दिनांक 22.08.2022 को अंतरिम स्थगन पारित कर आलौच्य आदेश 25.07.2022 की क्रियान्विति अपीलार्थी के पदस्थापन के संबंध में अधिकरण के आगामी आदेश तक स्थगित रखने के आदेश दिये थे।

3. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से अपील का जवाब प्रस्तुत किया गया है, जिसमें यह अंकित किया गया है कि विभागीय आक्षेपित स्थानांतरण आदेश दिनांक 25.07.2022 पूर्णतः प्रशासनिक आवश्यकताओं एवं नियमानुसार राज्यहित में जारी किया गया है, उक्त आदेश में किसी भी प्रकार से कोई अवैधता नहीं रही है। नियोक्ता का यह अधिकार है कि वह अपने अधीन कार्यरत किसी नियोजक को एक स्थान से दूसरी जगह स्थानांतरित कर सकता है, अतः आलौच्य आदेश में किसी प्रकार की कोई अनियमितता अथवा दुर्भावना निहित नहीं है। प्रत्यर्थी विभाग के द्वारा स्थगन आदेश को निरस्त किये जाने का प्रार्थना पत्र पृथक से प्रस्तुत किया है। प्रत्यर्थी विभाग के अधिवक्ता का तर्क रहा है कि अपीलार्थी के संबंध में जो स्थानांतरण आदेश पारित किया गया है, उसमें महेन्द्र कुमार लांबा के संबंध में जो स्थानांतरण आदेश था, उसमें संबंध में नवीन आदेश दिनांक 20.09.2022 को पारित किया गया है, जिसमें डॉ. महेन्द्र कुमार लांबा का नाम व पद संशोधित किया गया है।

4. इस संबंध में अपीलार्थी का कथन रहा है कि पूर्व का आदेश 25.07.2022 चूंकि बिना मस्तिष्क के प्रयोग के अपीलार्थी को चिकित्सा अधिकारी मानते हुए स्थानांतरण किया गया था। ऐसे में उक्त आदेश में संशोधित किये जाने से यह नहीं माना जा सकता कि पूर्व का आदेश वैध व नियमित हो गया हो। जबकि पूर्व का आदेश दिनांक 25.07.2022 बिना मस्तिष्क के प्रयोग के जारी किया गया था।

5. हमनें दोनों पक्षों द्वारा दिये गए तर्कों पर विचार किया। अपीलार्थी की मुख्य रूप से यह आपत्ति रही है कि अपीलार्थी का नाम व पदनाम स्थानांतरण आदेश दिनांक 25.07.2022 में गलत अंकित किया गया। अपीलार्थी का नाम डॉ. महेन्द्र लांबा न होकर डॉ. महेन्द्र कुमार लांबा है, जो गलत दर्शाया गया एवं अपीलार्थी का पद वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी (चर्म रोग) है, जबकि आलौच्य आदेश 25.07.2022 में चिकित्सा अधिकारी दर्शाया गया। इस संबंध में प्रत्यर्थी विभाग का तर्क रहा है कि पश्चातवृर्ती आदेश दिनांक 20.09.2022 के द्वारा आदेश दिनांक 25.07.2022 में संशोधन किया गया है, जो संशोधन निम्न प्रकार हैः— ''चिकित्सक के नाम व पद के कॉलम में डॉ. महेन्द्र लाम्बा, चिकित्सा अधिकारी के स्थान पर डॉ. महेन्द्र कुमार लाम्बा, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी (चर्म रोग) संशोधित कर पढा जावे।''

   अतः उपरोक्त आधार पर चूंकि राज्य सरकार का यह कथन रहा है कि जो त्रुटि हुई थी, वह लिपिकीय त्रुटि थी, जिसमें सुधार किया जा चुका है। त्रुटि सुधार के बाद अपीलार्थी की आपत्ति स्वतः ही समाप्त हो जाती है।

6. हमारे मत में चुंकि डॉ महेन्द्र कुमार लाम्बा का नाम केवल महेन्द्र लाम्बा लिखे जाने से यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि प्रत्यर्थी विभाग ने मस्तिष्क का प्रयोग नहीं किया, बल्कि पूर्व के आदेश दिनांक 25.07.2022 में केवल महेन्द्र लाम्बा लिखने

से यही तात्पर्य है कि स्थानांतरण आदेश अपीलार्थी के संबंध में ही था। जहां तक पदनाम का प्रश्न है तो हमारे मत में केवलमात्र चिकित्सा अधिकारी लिखा जाना लिपिकीय त्रुटि होना माना जा सकता है। ऐसे में पदनाम गलत अंकित किये जाने से यह नहीं माना जा सकता कि आक्षेपित आदेश बिना मस्तिष्क के प्रयोग के जारी किया गया है।

7. अपीलार्थी की अन्य आपत्ति यह रही है कि कुचामन सिटी के राजकीय चिकित्सालय में चिकित्सकों के 6 पद अभी रिक्त है। अपीलार्थी की इस आपत्ति पर विचार किया गया। यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि यह नियोजक के विवेक पर निर्भर करता है कि वो कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर लें। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रकरण **Rajendra Roy Vs. Union of India (1993) 1 SCC 148 में** निम्न प्रकार से मत व्यक्त किया हैः–

> ***"It is true that the order of transfer often causes a lot of difficulties and dislocation in the family set up of the concerned employees but on that score the order of transfer is not liable to be struck down. Unless such order is passed mala fide or in violation of the rules of service and guidelines for transfer without any proper justification the Court and the Tribunal should not interfere with the order of transfer."***

स्थानांतरण राजकीय सेवा का एक भाग है। यह प्रत्यर्थी विभाग के विवेक पर निर्भर है कि उन्हें अपीलार्थी की सेवाएं किस स्थान पर लेनी है। प्रस्तुत प्रकरण में प्रत्यर्थी विभाग ने अपने विवेक का प्रयोग करते हुए अपीलार्थी का स्थानांतरण किया है। ऐसे में अपीलार्थी की उपरोक्त आपत्ति के आधार पर स्थानांतरण आदेश निरस्त नहीं किया जा सकता।

8. अतः हम यह पाते है कि अपीलार्थ के स्थानांतरण आदेश को निरस्त किये जाने का कोई उचित आधार हमारे सामने प्रकट नहीं किया गया है। परिणामस्वरूप अपील में बल नहीं होने से अपील स्वीकार कर खारिज की जाती है। अंतरित आदेश दिनांक 22.08.2022 अपास्त किया जाता है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)